भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *111

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

***111. श्री गौरव गोगोई:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) देश में एचआईवी/एड्स से प्रभावित ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रणालियों की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम –IV के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार के पास देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई नीतियां/योजनाएं/अन्य उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09 फरवरी, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *111 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो 12 करोड़ गरीब परिवारों को अस्पताल में दाखिल होने पर मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

प्रारंभिक रूप से 10.74 लाभार्थी परिवारों की पहचान मुख्य रूप से वर्ष 2011 के एसईसीसी डेटाबेस से क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा वंचना और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की गई थी। जो राज्य एसईसीसी डाटाबेस के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में समर्थ नहीं रहे हैं, उन्हें बचे हुए (असत्यापित) एसईसीसी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए गैर-एसईसीसी डाटाबेस का उपयोग करने की छूट प्रदान की गई है।

इसके अलावा, एसईसीसी 2011 के तहत परिभाषित मानदंडों (**संदर्भ अनुलग्नक – I**) के अनुसार पात्र ट्रांसजेंडर सहित कोई भी व्यक्ति या गैर-एसईसीसी लाभार्थियों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित व्यक्ति इस योजना के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का हकदार है।

दिनांक 05/02/202 की स्थितिनुसार, ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए पीएम-जेएवाई के तहत 1.21 करोड़ रुपये की लागत के कुल 794 अस्पताल दाखिलों को अधिकृत किया गया है, जिसके लिए ऐसी सूचना उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, सभी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एबी-पीएम-जेएवाई के लाभों का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्माइल (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहयोग) फ्रेमवर्क के तहत स्वास्थ्य परिचर्या लाभ प्रदान किए जाते है। ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई भी सदस्य जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत है, एबी पीएम-जेएवाई पैनलबद्ध अस्पतालों में से किसी में भी नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्राप्त करने का पात्र हैं।

(ख): सरकार इस समय अपने पांचवें चरण में पूरे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। ट्रांसजेंडर समुदाय को एचआईवी संक्रमण के उच्च जोखिम वाले समूहों में माना जाता है और एचआईवी रोकथाम, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार, एचआईवी परीक्षण और परिचर्या संबंधी सेवाएं उन्हें नए

एचआईवी संक्रमणों में कमी लाने के उद्देश्य से मुख्यत: राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के माध्यम से कार्यान्वित लक्षित कार्यकलाप परियोजनाओं और लिंक कार्मिक योजना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, एचआईवी/एड्स से संक्रमित सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एआरटी केंद्रों पर नि:शुल्क एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) प्रदान की जाती है और परिचर्या के मानकों के अनुसार लांछन मुक्त और समावेशी तरीके से परिचर्या और सहायता केंद्रों के माध्यम से अतिरिक्त सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग): सरकार प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तरों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन कर रही है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं आयुष्मान भारत-एच-डब्ल्यूसी योजना के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अधीन सेवाओं के पैकेज का हिस्सा हैं। एबी पीएम-जेएवाई 27 विभिन्न स्पेशियलिटी के तहत कुल 1949 पद्धतियों के अनुरूप उपचार प्रदान करती है, जिनमें से 19 पद्धतियां "मानसिक विकार" संबंधी स्पेशियलिटी से संबंधित हैं।

देश में गुणवत्तायुक्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी) शुरू किया गया है।

ट्रांसजेंडर समुदाय सहित पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के तहत नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के हकदार हैं।

*****

अनुलग्नक-I

एसईसीसी 2011 के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई के तहत पात्रता संबंधी मानदंडों की विस्तृत सूची

स्वत: रूप से शामिल:

1. आश्रय विहीन परिवार
2. निराश्रित/भिक्षा पर निर्भर
3. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार
4. आदिम जनजातीय समूह
5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ मजदूर

ग्रामीण क्षेत्र में वंचन मानदंड:

डी1: कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरा

डी2: 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं

डी3: 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के बिना महिला नेतृत्व वाले परिवार

डी4: दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं

डी5: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार

डी7: भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा हाथ से नैमित्तिक श्रम द्वारा प्राप्त करते हैं

शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक मानदंड:

1) कूड़ा बीनने वाला

2) भिखारी

3) घरेलू कर्मी

4) स्ट्रीट वेंडर / मोची / हॉकर / सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता

5) निर्माण श्रमिक/प्लंबर/मेसन/श्रमिक/पेंटर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली और सिर पर भार ढ़ोने वाले अन्य श्रमिक

6) स्वीपर / सफाई कर्मचारी / माली

7) घर आधारित कर्मी / कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी

8) परिवहन कर्मी / ड्राइवर / कंडक्टर / ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर/ ठेला चालक / रिक्शा चालक

9) दुकान में कार्य करने वाले कर्मी/ सहायक/ छोटे प्रतिष्ठान में चपरासी/हेल्पर/ डिलीवरी सहायक/ परिचर/वेटर

10) इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत करने वाले कर्मी

11) धोबी / चौकीदार

****